न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 17/2024

हारून खान खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
–आवेदक

बनाम

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद यादव, उम्र 42 वर्ष (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स आरएमडी डेयरी, खसरा नं0 1217, 1224/1385 पीपली, नीमराणा, जिला अलवर निवासी– ग्रा० पो० ढंढारिया, (पीपली), तह० बहरोड, जिला अलवर।
–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हारून खान द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2 (क) के क्रमांक 38 पर अंकित है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475/10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर आवंटित किया गया है एवं श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर के पदस्थापन आदेश 444 दिनांक 14.05.2018 के द्वारा मुझे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर में पदस्थापित किया गया है। अतः अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.12.2019 को बाद दोपहर 12.00 बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चौकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग एवं जांच दल सहित मैसर्स आरएमडी डेयरी, खसरा नं० 1217, 1224/1385 पीपली, नीमराणा, जिला अलवर स्थित पर पहुँचा। उक्त प्रतिष्ठान पर श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 42 वर्ष, निवासी– ग्रा० पो० ढंढारिया, (पीपली),

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

तह० बहरोड, जिला अलवर खाद्य पदार्थों का बेचान आमजन को कर रहा था। उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर प्रतिष्ठान के मालिक का नाम एवं पता पूछा जिस पर विक्रेता ने उक्त प्रतिष्ठान का मालिक स्वयं को होना बताया एवं अपना नाम श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद यादव, उम्र 42 वर्ष (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स आरएमडी डेयरी, खसरा नं0 1217. 1224/1385 पीपली, नीमराणा, जिला अलवर निवासी ग्रा० पो० ढंढारिया, (पीपली), तह० बहरोड, जिला अलवर का होना बताया। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन वर्ष 2019 दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने मौके पर खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र नं. 12218010000261 दिनांक 30.10.2023 तक जारी होना दिखाया एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं फार्म टीएम ए की छायाप्रति प्रस्तुत की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त निर्माता एवं विक्रेता की फैक्ट्री में प्लास्टिक के कैनो में दही लाईट 15 किलो दही लाईट आम जनता के बेचान वास्ते रखा हुआ था, उक्त खाद्य पदार्थ दही लाईट में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से वास्ते नमूना जाँच क्रय करने की इच्छा फार्म नं0 5ए देकर व्यक्त की जिसपर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवायें एवं मैने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। उक्त खाद्य पदार्थ दही लाईट में से हिला मिला कर 800 ग्राम दही लाईट कय किया। उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ दही लाईट की कीमत विक्रेता को मौके पर रु 36/- (अक्षरे छत्तीस रूपये मात्र) नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 800 ग्राम दही लाईट को हिला मिलाकर चार अलग अलग साफ सूखी चौडे मुँह कि बोतलो में बराबर-बराबर मात्रा में डाला एवं प्रत्येक बोतल में 20-20 बूंद फार्मलीन की डालकर बोतलो को एयर टाईट बन्द किया। विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लेबल तैयार कर उन पर श्रीमान् डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक बी-6203 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक बोतल को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. बी-6203 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को प्रत्येक बोतल पर नींचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।

5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाया एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को

कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहन ने भी पढ़कर, सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जो कि न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक प्रति पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील किया। एक नमूना भाग एवं फार्म सं. 6 की एक प्रति के साथ आउटर कवर में सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म सं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर, सील मोहर कर खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो नमूना भाग (ii व iii भाग) मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को श्रीमान् डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के पत्रांक 53 दिनांक 11.02.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर से प्राप्त जांच रिर्पोट के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जाँच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ दही लाईट अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया। उक्त पत्रांक एवं जाँच रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

8. यह कि कार्यालय पत्रंक 95 दिनांक 29.05.2020 द्वारा उक्त विक्रेता से फर्म की सूचना चाही गयी। जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

9. यह कि प्रकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के समक्ष वास्ते अभियोजन स्वीकृती जारी करने बाबत् प्रस्तुत किये। श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा समस्त पत्रावली का अवलोकन, विचार एवं मनन करने के बाद अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये पत्र क्रमांक मुख्य/एफएसएसए/2020/145 दिनांक 30.06.2020 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में माननीय न्याय न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है। जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

10. यह कि प्रकरण मे अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) दही लाईट का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अतः माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी से निवेदन है कि अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माना राशि से दण्डित करने की कृपा करें। आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

11. प्रकरण इस न्यायालय कि क्षेत्राधिकार में होने के कारण पत्रावली अपर जिला मजिस्ट्रेट अलवर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तल्वी हेतु नोटिस जारी किया गया बाद तामिल अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

जिसे शामिल मिशल किया गया। अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया है कि जॉच रिपोर्ट में फैट की मात्रा को छोडकर सभी स्डेन्डर्ड सही पाये गये है। दही में फैट की मात्रा को कम दर्शाया गया है जबकि हमारे द्वारा अच्छे से अच्छा दूध खरीद कर दही जमाया जाता है अतः दिये गये नोटिस को खारीज का प्रकरण का ड्रोप फरमाया जावे।

12. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दही लाईट की गुणवता सही नही होने एवं मिलावट का शक होने पर वास्ते जाँच नमुना लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर राजस्थान को भिजवाने पर उनके द्वारा अपनी जाँच रिपार्ट में उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक खाद्य पदार्थ पाया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में अकित तथ्यों के समर्थन में कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही किये है जिससे यह सावित हो सके उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। इस प्रकार अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ दही लाईट का विक्रय कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद यादव, उम्र 42 वर्ष (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स आरएमडी डेयरी, खसरा नं0 1217, 1224/1385 पीपली, नीमराणा, जिला अलवर निवासी– ग्रा० पो० ढंढारिया, (पीपली), तह० बहरोड, जिला अलवर पर 25000/- .... शास्ति आरोपित की जाती है। उक्त शास्ति राशि जरिये चालान एक माह में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। निर्णय आज दिनांक 17/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अति. जिला कलक्टर
(कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली